तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

28/11/23 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर हैं/दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 02/01/24 को पेश हो।

02/01/24 पत्रावली पेश। मूलवाद के साथ पत्रावली दिनांक 16/01/24 को पेश हो।
Pushkar
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर

16/1/24 पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर हैं/दीगर का. में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29/1/24 को पेश हो।

29/01/24 पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में दिनांक 13/12/04 को अप्रार्थी सं.01 व 02 की ओर से जवाब पेश। दिनांक 25/04/06 को अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से लिखित बहस पेश। दिनांक 13/08/20 को अप्रार्थी सं.02 की ओर से जवाब पेश। दिनांक 01/02/21 को अप्रार्थी सं.01 के का. मु. की ओर से जवाब पेश। दिनांक 19/03/21 को अप्रार्थी सं.01 के का. मु. एवं अप्रार्थी सं. 02 की ओर से लिखित बहस पेश। पुनः उभयपक्ष बहस सुनी गई।

मुताबिक बहस अधि. वादी/प्रार्थी-

" गणेशराम के 3 पुत्रों में से एक पुत्र के लाऔलाद फौत होने पर विवादित भूमि अन्य 2 पुत्रों की हुई। किंतु अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने संपूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं. 01 के नाम दर्ज करवा लिया। अप्रार्थी सं. 02, नारायण जी का गोद पुत्र नहीं है। प्रार्थिनी ही नारायण जी की एकमात्र वारिस है। अतः विवादित भूमि में प्रार्थिनी का हिस्सा बनता है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि में प्रार्थिनी के कब्जा - काश्त के 1/2 हि. में बाधा उत्पन्न ना करे एवं बेचान ना करे।"

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मुताबिक बहस अप्रार्थीगण- "अप्रार्थी सं. 02 को नारायण जी की पत्नि ने गोद लिया। अप्रार्थी सं.02 ने नारायण जी की पत्नी का भरण-पोषण किया। प्रार्थिनी का विवादित भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थिनी का देहांत हो चुका है एवं उसके वारिसान का विवादित भूमि में कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"
	उपलब्ध दस्तावेजों, शपथ-पत्र, बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थिनी के का. मु. के पक्ष में साबित होते हैं। अतः प्रा. पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति तार्फैसला मूल वाद बनी रहे। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर
	कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर